

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी चन्देलिया आर.ए.एस

मि०न० - 12/2024

अनवान :-

1. कृष्ण पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
:-वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
2. रायसिंह पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
3. छोटूराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
4. विनोद पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
5. सतवीर पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
6. पंकज पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
7. सुनीता पत्नी रामगोपाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजेश बैनीवाल वादीगण
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादी


निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 181/156 की 1.5180 है० चक 9 एसडीआर के खाता सं० 113/66 की कुल 1.7710 है० चक 10 एसडीआर के खाता सं० 11/13 की 4.1740 है० एवं चक 10 एसडीआर के खाता सं० 46/56 की कुल 4.1740 है० व इसी चक के खाता सं० 18/24 की कुल 4.1740 है० तथा चक 10 एसडीआर के खाता सं० 55/66 की कुल 7.0210 है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग-अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सीव डोल बने हुये है। राजस्व रिकार्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुख्यास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 7 ने आपसी से राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
जिला-हनुमानगढ़




बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने पक्षकारान के हिरसा अनुसार मुताबिक राजीनामा के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किये जाने का निवेदन है जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकाण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 181/156 की 1.5180 है० चक 9 एसडीआर के खाता सं० 113/66 की कुल 1.7710है० चक 10 एसडीआर के खाता सं० 11/13 की 4.1740है० एवं चक 10 एसडीआर के खाता सं० 46/56 की कुल 4.1740है० व इसी चक के खाता सं० 18/24 की कुल 4.1740है० तथा चक 10 एसडीआर के खाता सं० 55/66 की कुल 7.0210है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त मुरतर्का खातेदारी दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी किया जाकर पक्षकारान के हिरसा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

वादी कृष्ण पुत्र हरदयाल :- चक 9 एसडीआर के मु०न० 13 के किला न० 1 की 0.253है० बारानी चक 10 एसडीआर के मु०न० 2 के किला न० 6-15-16 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी किला न० 25/1 की 0.240है० नहरी किला न० 25/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता मु०न० 11 के किला न० 5-6-15-16-25 प्रत्येक की 0.253है० नहरी मु०न० 39 के किला न० 5/1 की 0.228है० बारानी किला न० 5/2 की 0.025है० गै०मु० खाता किला न० 6-15-16 प्रत्येक की 0.253है० बारानी मु०न० 40 के किला न० 1/1 की 0.228है० बारानी किला न० 1/2 की 0.025है० गै०मु० खाता किला न० 10-11-20-21 प्रत्येक की 0.253है० बारानी ।

प्रतिवादी सं० 3 छोटाराम प्रतिवादी सं० 4 विनोद प्रतिवादी सं० 5 सतवीर — चक 8 एसडीआर के मु०न० 103 के किला न० 10/1 की 0.240है० नहरी किला न० 10/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता चक 9 एसडीआर के मु०न० 13 के किला न० 3/1 की 0.1265है० बारानी किला न० 2 की 0.253है० बारानी चक 10 एसडीआर के मु०न० 2 के किला न० 7-14-17 प्रत्येक की 0.253है० नहरी किला न० 24/1 की 0.240है० नहरी किला न० 24/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता मु०न० 12 के किला न० 4 ता 7 प्रत्येक की 0.253है० नहरी मु०न० 40 के किला न० 2/1 की 0.228है० बारानी किला न० 2/2 की 0.025है० गै०मु० खाता किला न० 3/1 की 0.114है० बारानी किला न० 3/2 की 0.0125है० गै०मु० खाता किला न० 8/1 की 0.1265है० बारानी किला न० 9-12 प्रत्येक की 0.253है० बारानी किला न० 13/1 की 0.1265है० बारानी किला न० 18/1 की 0.1265है० बारानी किला न० 19-22 प्रत्येक की 0.253है० बारानी किला न० 23/1 की 0.1265 है० बारानी ।

प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र — चक 8 एसडीआर के मु०न० 86 के किला न० 10/1 की 0.228है० नहरी किला न० 10/2 की 0.025है० गै०मु० रास्ता किला न० 11/1 की 0.240है० नहरी किला न० 11/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता किला न० 20/1 की 0.240है० नहरी किला न० 20/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता किला न० 21/1 की 0.240है० नहरी किला न० 21/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता मु०न० 103 के किला न० 1/1 की 0.240है० नहरी किला न० 1/2 की 0.013है० गै०मु० रास्ता चक 9 एसडीआर के मु०न० 13 के किला न० 3/2 की 0.1265है० बारानी किला न० 4 की 0.253है० बारानी चक 10 एसडीआर के मु०न० 2 के किला न० 2 की 0.139है० नहरी किला न० 10 की 0.177है० नहरी किला न० 11-20-21 प्रत्येक किला की 0.253है० नहरी मु०न० 40 के किला न० 3/3 की 0.114है० बारानी किला न० 3/4 की 0.0125 है० गै०मु० खाता किला न० 4/1 की 0.228 है० बारानी किला न० 4/2 की 0.025है० गै०मु० खाता किला न० 7 की 0.253है० बारानी किला न० 8/2 की 0.1265है० बारानी किला न० 13/2 की 0.1265है० बारानी किला न० 14-17 प्रत्येक किला की 0.253है० बारानी किला न०


3 पक्षवादी हिरसा (राजस्व)
वकील (जिला-दरभंगा)

18/2 की 0.1265 है 0 बरानी किला नं 23/2 की 0.1265 है 0 बरानी किला नं 24 की 0.253 है 0 बरानी ।


प्रतिवादी सं 6 पंकज प्रतिवादीया सं 7 सुनिता - चक 9 एसडीआर के मु 0 नं 13 के किला नं 5 की 0.253 है 0 बरानी मु 0 नं 14 के किला नं 1/1 की 0.1265 है 0 बरानी चक 10 एसडीआर के मु 0 नं 2 के किला नं 9-12-19 प्रत्येक की 0.253 है 0 नहरी किला नं 22/1 की 0.240 है 0 नहरी किला नं 22/2 की 0.013 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता मु 0 नं 11 के किला नं 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक की 0.253 है 0 नहरी मु 0 नं 40 के किला नं 5/1 की 0.228 है 0 बरानी किला नं 5/2 की 0.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला किला नं 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की 0.253 है 0 बरानी मु 0 नं 41 के किला नं 1/1 की 0.114 है 0 बरानी किला नं 1/2 की 0.0125 है 0 गै 0 मु 0 खाला किला नं 10/1 की 0.1265 है 0 बरानी किला नं 11/1 की 0.1265 है 0 बरानी किला नं 20/1 की 0.1265 है 0 बरानी किला नं 21/1 की 0.1265 है 0 बरानी ।

प्रतिवादी सं 2 रायसिंह पुत्र हरदयाल :- चक 9 एसडीआर के मु 0 नं 14 के किला नं 1/2 की 0.1265 है 0 बरानी किला नं 2 की 0.253 है 0 बरानी चक 10 एसडीआर के मु 0 नं 2 के किला नं 8, 13, 18, प्रत्येक की 0.253 है 0 नहरी किला नं 23/1 की 0.240 है 0 नहरी किला नं 23/2 की 0.013 है 0 मु 0 नं 11 के किला नं 2-3-8-13-18-23 प्रत्येक की 0.253 है 0 नहरी मु 0 नं 41 के किला नं 1/3 की 0.114 है 0 बरानी किला नं 1/4 की 0.0125 है 0 गै 0 मु 0 खाला किला नं 2, 9 प्रत्येक की 0.253 है 0 बरानी किला नं 10/2 की 0.1265 है 0 बरानी किला नं 11/2 की 0.1265 है 0 बरानी किला नं 12 की 0.253 है 0 बरानी किला नं 19 की 0.253 है 0 बरानी किला नं 20/2 की 0.1265 है 0 बरानी किला नं 21/2 की 0.1265 है 0 बरानी किला नं 22 की 0.253 है 0 बरानी ।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। पूर्व में दर्ज गै 0 मु 0 खाला, रास्ता एवं किस्म भूमि को यथावत् रखते हुए यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को संबंधित पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-07-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(आ.पी. चंदेलिया)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

सि०न० - 12/2024

अनवान :-

1. कृष्ण पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
2. रायसिंह पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
3. छोटूराम पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
4. विनोद पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
5. सतवीर पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
6. पंकज पुत्र रामगोपाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
7. सुनीता पत्नी रामगोपाल जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एसडीआर के खाता सं० 181/156 की 1.5180 है० चक 9 एसडीआर के खाता सं० 113/66 की कुल 1.7710 है० चक 10 एसडीआर के खाता सं० 11/13 की 4.1740 है० एवं चक 10 एसडीआर के खाता सं० 46/56 की कुल 4.1740 है० व इसी चक के खाता सं० 18/24 की कुल 4.1740 है० तथा चक 10 एसडीआर के खाता सं० 55/66 की कुल 7.0210 है० कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त मुश्तर्का खातेदारी दर्ज है में खाता विभाजन अलग-अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

वादी कृष्ण पुत्र हरदयाल :- चक 9 एसडीआर के मु०न० 13 के किला न० 1 की 0.253 है० बरानी चक 10 एसडीआर के मु०न० 2 के किला न० 6-15-16 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी किला न० 25/1 की 0.240 है० नहरी किला न० 25/2 की 0.013 है० गै०मु० रास्ता मु०न० 11 के किला न० 5-6-15-16-25 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी मु०न० 39 के किला न० 5/1 की 0.228 है० बरानी किला न० 5/2 की 0.025 है० गै०मु० खाला किला न० 6-15-16 प्रत्येक की 0.253 है० बरानी मु०न० 40 के किला न० 1/1 की 0.228 है० बरानी किला न० 1/2 की 0.025 है० गै०मु० खाला किला न० 10-11-20-21 प्रत्येक की 0.253 है० बरानी ।

प्रतिवादी सं० 3 छोटूराम प्रतिवादी सं० 4 विनोद प्रतिवादी सं० 5 सतवीर - चक 8 एसडीआर के मु०न० 103 के किला न० 10/1 की 0.240 है० नहरी किला न० 10/2 की 0.013 है० गै०मु० रास्ता चक 9 एसडीआर के मु०न० 13 के किला न० 3/1 की 0.1265 है० बरानी किला न० 2 की 0.253 है० बरानी चक 10 एसडीआर के मु०न० 2 के किला न० 7-14-17 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी किला न० 24/1 की 0.240 है० नहरी किला न० 24/2 की 0.013 है० गै०मु० रास्ता मु०न० 12 के किला न० 4 ता 7 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी मु०न० 40 के किला न० 2/1 की 0.228 है० बरानी किला न० 2/2 की 0.025 है० गै०मु० खाला किला न० 3/1 की 0.114 है० बरानी किला न० 3/2 की 0.0125 है० गै०मु० खाला किला न० 8/1 की 0.1265 है० बरानी किला न० 9-12 प्रत्येक की 0.253 है० बरानी किला न० 13/1 की 0.1265 है० बरानी किला न० 18/1 की 0.1265 है० बरानी किला न० 19-22 प्रत्येक की 0.253 है० बरानी किला न० 23/1 की 0.1265 है० बरानी ।

S. K. Singh
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्रतिवादी सं० 1 राजेन्द्र - चक 8 एसडीआर के मु०न० 86 के किला न० 10/1 की 0.228 है० नहरी किला न० 10/2 की 0.025 है० गै०मु० रास्ता किला न० 11/1 की 0.240 है० नहरी किला न० 11/2 रास्ता किला न० 20/1 की 0.240 है० नहरी किला न० 20/2 की 0.013 है० गै०मु० के किला न० 1/1 की 0.240 है० नहरी किला न० 21/2 की 0.013 है० गै०मु० रास्ता मु०न० 103 मु०न० 13 के किला न० 3/2 की 0.1265 है० बारानी किला न० 4 की 0.253 है० बारानी चक 10 एसडीआर के मु०न० 2 के किला न० 2 की 0.139 है० नहरी किला न० 10 की 0.177 है० नहरी किला न० 11-20-21 प्रत्येक किला की 0.253 है० नहरी मु०न० 40 के किला न० 3/3 की 0.114 है० बारानी किला न० 3/4 की 0.0125 है० गै०मु० खाला किला न० 4/1 की 0.228 है० बारानी किला न० 4/2 की 0.025 है० गै०मु० खाला किला न० 7 की 0.253 है० बारानी किला न० 8/2 की 0.1265 है० बारानी किला न० 13/2 की 0.1265 है० बारानी किला न० 14-17 प्रत्येक किला की 0.253 है० बारानी किला न० 18/2 की 0.1265 है० बारानी किला न० 23/2 की 0.1265 है० बारानी किला न० 24 की 0.253 है० बारानी ।

प्रतिवादी सं० 6 पंकज प्रतिवादीया सं० 7 सुनिता - चक 9 एसडीआर के मु०न० 13 के किला न० 5 की 0.253 है० बारानी मु०न० 14 के किला न० 1/1 की 0.1265 है० बारानी चक 10 एसडीआर के मु०न० 2 के किला न० 9-12-19 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी किला न० 22/1 की 0.240 है० नहरी किला न० 22/2 की 0.013 है० गै०मु० रास्ता मु०न० 11 के किला न० 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी मु०न 40 के किला न० 5/1 की 0.228 है० बारानी किला न० 5/2 की 0.025 है० गै०मु० खाला किला न० 6, 15, 16, 25 प्रत्येक की 0.253 है० बारानी मु०न० 41 के किला न० 1/1 की 0.114 है० बारानी किला न० 1/2 की 0.0125 है० गै०मु० खाला किला न० 10/1 की 0.1265 है० बारानी किला न० 11/1 की 0.1265 है० बारानी किला न० 20/1 की 0.1265 है० बारानी किला न० 21/1 की 0.1265 है० बारानी ।

प्रतिवादी सं० 2 रायसिंह पुत्र हरदयाल :- चक 9 एसडीआर के मु०न० 14 के किला न० 1/2 की 0.1265 है० बारानी किला न० 2 की 0.253 है० बारानी चक 10 एसडीआर के मु०न० 2 के किला न० 8, 13, 18, प्रत्येक की 0.253 है० नहरी किला न० 23/1 की 0.240 है० नहरी किला न० 23/2 की 0.013 है० मु०न० 11 के किला न० 2-3-8-13-18-23 प्रत्येक की 0.253 है० नहरी मु०न० 41 के किला न० 1/3 की 0.114 है० बारानी किला न० 1/4 की 0.0125 है० गै०मु० खाला किला न० 2, 9 प्रत्येक की 0.253 है० बारानी किला न० 10/2 की 0.1265 है० बारानी किला न० 11/2 की 0.1265 है० बारानी किला न० 12 की 0.253 है० बारानी किला न० 19 की 0.253 है० बारानी किला न० 20/2 की 0.1265 है० बारानी किला न० 21/2 की 0.1265 है० बारानी किला न० 22 की 0.253 है० बारानी ।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। पूर्व में दर्ज गै०मु० खाला रास्ता एवं किस्म भूमि आदि को यथावत् रखा जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को संबंधित पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-07-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(ओ.पी. चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा जिला हनुमानगढ़